चीन-भारत सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्यचालन तंत्र की स्थापना

हेतु

चीन जनवादी गणराज्य की सरकार

और

भारत गणरज्य की सरकार

के बीच करार

चीन जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "दोनों पक्ष" कहा गया है)

यह दृढ़ विश्वास रखते हुए कि दोनों देशों के बीच सीमा प्रश्न का समाधान लंबित रहने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना एवं उसका अनुपालन करना तथा चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शांति बरकरार रखना एवं इसे सुदृढ़ करना सीमा प्रश्न का शीघ्रातिशीघ्र समाधान हेतु एवं शांति एवं समृद्धि के लिए और चीन-भारत रणनीतिक एवं सहयोगपूर्ण सहभागिता का निर्माण करने के लिए दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं सुरक्षा बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है;

7 सितंबर, 1993 को भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अमन एवं शांति बनाये रखने के बारे में चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर किये गए करार, 29 नवम्बर, 1996 को चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों गे बारे में चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर किये गए करार और 11 अप्रैल, 2005 को चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों पर चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच हस्ताक्षर किये गए प्रोतोकाल की भावना के मूर्त रूप की इच्छा रखते हुए;

चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में सीमा संबंधी घटनाओं को समुचित निराकरण करने एवं उत्सुकतापूर्वक अन्य सहयोगात्मक क्रियाकलाप चलाने के लिए सीमा स्थिति के बारे में समय पर सूचना भेजने को लक्ष्य मानते हुए निम्नवत सहमत हुई हैः-

अनुच्छेद - I

दोनों देश चीन-भारत सीमा क्षेत्रों में अमन एवं शांति बनाये रखने से संबंधित महत्वपूर्ण सीमा संबंधी मामलों का निराकरण करने हेतु चीन-भारत सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय के लिए एक कार्यचालन तंत्र(जिसे इसके बाद "कार्यचालन तंत्र" कहा जाएगा) स्थापित करने पर सहमत हैं।

अनुच्छेद - II

चीन के ज़नवादी गणराज्य की सरकार के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक स्तर के अधिकारी तथा भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस कार्यचालन तंत्र के अध्यक्ष होंगे और इस तंत्र में दोनों देशों के राजनयिक एवं सैन्य अधिकारी शामिल होंगे।

अनुच्छेद - III

यह कार्यचालन तंत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में दोनों देशों के सैन्य कार्मिकों और स्थापना के बीच आदान-प्रदान और सहयोग का संचालन करने एवं सुदृढ़ करने के उपायों का अध्ययन करेगा।

अनुच्छेद - IV

कार्यचालन तंत्र सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग की संभावना का पता लगायेगा जिस पर दोनों पक्ष सहमत हैं।

अनुच्छेद - V

कार्यचालन तंत्र अन्य कार्य भी करेगा जिस पर दोनों पक्षों की सहमति है परन्तु यह सीमा प्रश्न के समाधान के बारे में चर्चा नहीं करेगा अथवा विशेष प्रतिनिधि तंत्र को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद - VI

कार्यचालन तंत्र उन मुद्दों एवं स्थितियों का समाधान करेगा जो सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती हैं जिससे अमन एवं शांति बनाये रखने पर प्रभाव पड़ सकता है और यह दोनों देशों के बीच दोस्ताना माहौल बहाल करने की दिशा में सक्रियता पूर्वक कार्य करेगा।

अनुच्छेद - VII

कार्यचालन तंत्र चीन और भारत में बारी-बारी से वर्ष में एक या दो बार परामर्श करेगा। जरूरत पड़ने पर परस्पर सहमति से आपातिक परामर्श किया जा सकता है।

अनुच्छेद - VIII

यह करार इस पर हस्ताक्षर किये जाने की तारीख को प्रभावी होगा। इस करार में दोनों पक्षों की सहमति से संशोधन, आशोधन अथवा इसका समापन किया जा सकता है। दोनों पक्षों की परस्पर सहमति से किया गया कोई संशोधन अथवा आशोधन इस करार का अभिन्न भाग होगा।

नई दिल्ली में.....17.1.2012.....को चीनी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में हस्ताक्षरित, तीनों भाषाओं के पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

चीन के जनवादी
गणराज्य की सरकार की ओर से

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से